(ग) यदि पश्चिमी देशों के बैंकिंग दलालों ने वह रुपया खरीद लिया और इसका उपयोग भारतीय जिंसों के व्यापार के लिए किया, तो क्या उससे भारत को विदेशी मुद्रा का भारी नुकसान होगा ; और

(घ) इस नुकसान को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखरमूर्ति) :

(क) रूस सरकार ने भारत के वार्षिक रुपए ऋण वापसी के भाग की, रूस में भावी आयातकों के बीच जिन से भारत से प्रभावी आयात के लिए दी जा रही हकदारी से पहले रूस सरकार के लेखे में रूबल जमा किए जाने की अपेक्षा की जाएगी, नीलामी किए जाने के अपने आशय का संकेत किया है।

(ख) 8-7-94 तक भारतीय रिजर्व बैंक में रूस के केन्द्रीय सरकार के लेखे में कुल अधिशेष लगभग 3168 करोड़ रुपए था।

(ग) और (घ) नीलामी प्रक्रिया केवल भारत से आयात की हकदारी स्थापित करेगी। रूस सरकार ने आश्वासन दिया है कि वे रूसी आयातक जो नीलामी के माध्यम से आयात किए जाने की हकदारी प्राप्त करते हैं, उनसे अब भी परस्पर दोनों सरकारों के बीच हमारे रुपए ऋण वापसी के बदले में रूस को माल के निर्यात पर करारों के अनुपालन किए जाने की अपेक्षा की जाएगी। इसलिए, माल रूसी आयातकों द्वारा रूस को केवल आयात किए जाने के लिए परिकल्पित किए जाते हैं।

Foreign assitance from external Agencies

100. PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the amount of assistance received by the country from foreign countries during the last three years;

(b) the names of the countries, from which the foreign assistance or loan was received;

(c) how much of the assistance and loan was with interest and how much without interest-sourcewise;

(d) how much of the foreign assistance and loans remained unutilised or underutilised and the reasons therefor; and

(e) the foreign loan outstanding against the country as on date, countrywise and institution-wise?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKHAR MURTHY): (a) to (c) Information is given in the Annexure. (*See* Appendix 171, Annexure No. 1)

(d) The total unutilised foreign loans and grants was Rs. 83102 crores as on 31st March, 1994.

Most of external assistance is tied to specific projects and the disbursement are, therefore, linked to the project implemeniation schedules. The pace of actual implementation varies from project to project. However the loan amount not utilised during a particular financial year does not normally lapse and is carried forward for utilization in the subsequent year. Among the major factors responsible for slow utilisation are inadequate counter-part funding, procurement delays, deficiencies in contract supervision and operational complexities of the planning process and resource transfers.

(e) Information is given in the enclosed statement.

Statement

Details of the external Debt outstanding as on 31-03-1994

S. No.	Country/Institution	Rs. in Crores (Provisional)
1	2	3
	Government Account Multilateral	
1	A. D. B.	2858.71
2	I. B. R. D.	22248.05
3	I. D. A.	49237.17
4	I. F. A. D.	622.16
5	O. P. E. C.	235.87
	Total (Multilateral)	75201.96
	Bilateral	
6	Abu Dhabi	7.56
7	Austria	171.91
8	Belgium	286.42
9	Canada	1379.99
10	Reps. of Czeh & Slovak	47.15
11	Denmark	440.09
12	E. E. C. (SAC)	136.47
13	Germany	10486.58
14	France	3580.28
15	I. S. O.	17.84
16	Italy	692.35
17	Japan	20507.22
18	Kuwait Fund	430.42
19	Netherlands	2883.65
20	Saudi Fund	172.93
21	Spain	143.80
22	Sweden	645.17
23	Switzerland	159.53

1	2	3
24	U. K.	321.98
25	U. S. A.	68804
26	Russian Federation	2783.43
27	U.A.E.	20.84
28	Australia	9.40
	TOTAL (Bilateral)	52205.55
	TOTAL (Government Account)	127407.51

बकाया आयकर की वसूली

101. प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जून, 1994 की स्थिति के अनुसार आयकर की कितनी राशि बकाया है, जिसकी वसूली होनी शेष है;

(ख) कितने व्यक्तियों की ओर से एक करोड़ रुपए या इससे भी अधिक की आयकर राशि बकाया है और उनके नाम क्या हैं; और

(ग) इस राशि को शीघ्र वसूल करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 1 अप्रैल, 1994 को आयकर (निगम कर सहित) की वसूली योग्य बकाया मांग 6047 करोड़ रुपये थी। इस धनराशि में न्यायालयों, समझौता आयोग, न्यायाधिकरण द्वारा स्थगित मांगें और बकाया न हुई मांगें तथा भुगतान की गई परन्तु सत्यापन के लिये लंबित मांग शामिल नहीं हैं।

(ख) 31-3-1994 की स्थिति के अनुसार 934 ऐसे नाम थे, जिनके विरुद्ध एक करोड़ रुपये से अधिक की मांग बकाया थी। इन नामों की सूची देने से उत्तर काफी लम्बा हो जाएगा और इसको तैयार करने में जो समय और प्रयत्न निहित हैं, वे प्राप्त किये जाने वाले उद्देश्य के अनुरूप नहीं होंगे।

(ग) बकाया मांग को कम करने संबंधी कार्य को उच्च प्राथमिकता दी जाती है और इसे कम करने के लिए उचित प्रशासनिक, कानूनी और दूसरे उपाय किये जाते हैं। बड़े मामलों में डोशियर रखे जाते हैं और स्थिति की नियमित रूप से पुनरीक्षा की जाती है। मामलों का जल्दी निपटान करने के लिए संबंधित अपीलीय प्राधिकारियों से अनुरोध किया जाता है। जहां कहीं न्यायालयों द्वारा वसूली की कार्रवाई स्थगित की जाती है, वहां स्थगन रद्द करने के लिये उपाय किये जाते हैं। मांग की शीघ्र वसूली के लिए उचित मामलों में विभाग द्वारा सम्पत्ति की कुर्की एवं बिक्री, दण्ड लगाने आदि जैसे बाध्यकारी उपाय भी किए जाते हैं।